न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–116/2019
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम मान सिंह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
10/7/2020		

आदेश

प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–323/मद्य नि0को0 दिनांक 03.04.2019 से प्राप्त मनीगाछी थाना कांड सं0–255/18 दिनांक 08.12.2018 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन मिनी ट्रक पंजीयन संख्या–**UK08CA-0540** के राज्यसात् हेतु अनुसंशा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी मान सिंह, पिता– नकली, शिवलोक कॉलोनी रानीपुर, हरिद्वार, उत्तराखंड को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया जो वापस प्राप्त हुआ। पुनः स्पीड पोस्ट से नोटिस भेजा वह भी वापस प्राप्त हुआ। इस कारण न्यायहित में एक पक्षीय सुनवाई की गयी।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल द्वारा संध्या गश्ती के दौरान NH-57 सड़क पर स्थित राजे टोल प्लाजा से करीब 2 कि0मी0 पूरब राजु ढ़ाबा होटल के सामने पुलिस गाड़ी पहुँचा तो देखा कि एक ट्रक संदिग्ध अवस्था में रुकी है जिसके नीचे दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहा है। संदिग्ध स्थिति में रुके मिनी ट्रक के पास पुलिस टीम जाने लगी तो नीचे खड़े दोनो व्यक्ति और वाहन में से निकल कर दो व्यक्ति भागने लगे जिसे पुलिस बल द्वारा खदेड़कर तीन व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़ाये तीनों व्यक्ति और मिनी ट्रक को थाना लाया गया। थाना पर पहुँचकर दो स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष उक्त ट्रक **UK08CA-0540** का तलाशी करने के क्रम में कार्टुन में रखा (1) इम्पेरियल ब्लू भिस्की लिखा हुआ 375 एम0एल0 का 408 बोतल विदेशी शराब (2) इम्पेरियल ब्लू भिस्की लिखा हुआ 180 एम0एल0 का 1392 बोतल विदेशी शराब (3) ऑफिसर च्वाईस ब्लू भिस्की लिखा हुआ 375 एम0एल0 का 456 बोतल विदेशी शराब (4) ऑफिसर च्वाईस ब्लू भिस्की लिखा हुआ 180 एम0एल0 का 1344 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ, जिसे उक्त वाहन के साथ विधिवत् जब्त किया गया। बिहार राज्य में अवैध शराब का परिवहन एवं चौर्य व्यापार दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त वाहन का राज्यसात् होना चाहिये।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता को सुना एव अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन मिनी ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ है। जिसे पुलिस बल द्वारा गश्ती के क्रम में विधिवत् बरामद शराब के साथ जब्त किया गया है। इस

प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त मिनी ट्रक का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया पुनः स्पीड पोस्ट से नोटिस भेजा गया परन्तु दोनो नोटिस बिना तामिला के वापस प्राप्त हुआ। वाहन स्वामी स्वयं भी अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुए। जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हें इस वाद में कुछ नहीं कहना है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में मनीगाछी थाना कांड सं0–255/18 दिनांक 08.12.2018 मे जब्त वाहन मिनी ट्रक निबंधन सं0– **UK08CA-0540** को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं तो 90 दिनो के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा